ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सुंगल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमति निशा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

1	श्रीमति शिवानी	01.04.2022 से 31.03.2023
2	श्री त्रिलोक नाथ	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत सुंगल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	4.14

2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।.	18.88
3	7, 7.2	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	2.10
4	8	गृहकर व अन्य कर के रूप में वसूल की गई राशि को बैंक में जमा न करना ।	0.04
5	9	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान करना	8.88
6	10	दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक भुगतान करना ।	0.01

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	4.1	अनिर्णीत ।
2	4.2	अनिर्णीत।
3	4.3	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।
5	6	अनिर्णीत ।
6	7	अनिर्णीत ।
7	8	अनिर्णीत ।
8	10	अनिर्णीत ।
9	11	अनिर्णीत ।
10	12	अनिर्णीत ।

11	14	अनिर्णीत ।
12	15	अनिर्णीत ।
13	16	अनिर्णीत ।
14	17	अनिर्णीत ।
15	18	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, (अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4.1	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	अनिर्णीत ।
5	5.2	अनिर्णीत ।
6	6	अनिर्णीत ।
7	7	अनिर्णीत ।
8	8	अनिर्णीत ।
9	9	अनिर्णीत ।
10	10	अनिर्णीत ।
11	11	अनिर्णीत ।
12	12	निर्णीत । अधिक किये गये भुगतान ₹410/– की वसूली रसीद संख्या 0260888 दिनांक 03.11.21 करने उपरान्त खाता संख्या 20141006659 दिनांक 03.11.2021 को जमा करवा दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड बही के पृष्ठ संख्या 72 पर कर दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है ।
13	13	अनिर्णीत ।

14	14	अनिर्णीत ।
15	15	अनिर्णीत ।
16	16	अनिर्णीत ।
17	17	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत सुंगल विकास खण्ड पालमपुर जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2025 से 17.04.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	04/2022	08/2022
2023–2024	08/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,

हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/01 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पालमपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत सुंगल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग(₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	201369.45	109510	7661	318540.45	217714	100826.45
2023–24	100826.45	44682	7638	153146.45	55050	98096.45

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत सुंगल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग(₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	1141452.05	5920322	7032	7068806.05	4747889	2320917.05
2023–24	2320917.05	3608167	4295	5933379.05	4045590	1887789.05

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC,SDP,MPLAD

A/c No. 50057381362	KCCB Padhiyarkhar	VKVNY, SDP	68275
A/c No. 20141006659	KCCB Padhiyarkhar	Own Source, 5th State	235062.11
A/c No. 50100349565465	HDFC Palampur	15th FC	2096881.3
cash in hand			0
		Total	**2400218.41**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			98096.45
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		141238.05
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		35625
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1745515
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		-36069
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		1480
		Total	**1985885.5**
		Diff.	**414332.91**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹4.14 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना निमयों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹4,14,333/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः दोहराई गई इस अनियमितता का अंकेक्षण को समय–2 पर दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 108/3 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये, वांछित अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र संख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता "क" व "ख" के अन्तर्गत Own source, 5th State आदि स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20141006659 के0सी0सी0बी0 व VKVNY, SDP हेतू खाता संख्या 50057381362 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खाताबार/स्कीमबार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/4 दिनांक 17.04.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः उक्त उल्लेखित पत्र में वर्णित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त

पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **निवेश :–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है। दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 2,01,369/– से ₹ 98096/– की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/5 दिनांक 17.04.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **अनुदान राशि ₹18.88 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 18,87,789.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹2.10 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, मॉग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 100/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर अधिरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹ 2,09,600/– सम्पति कर ₹2,08,300/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	82300	63000	145300	0	145300
2023–2024	145300	63000	208300	0	208300

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/6 दिनांक 17.04.2025 द्वारा इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹2,08,300/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.01 लाख की वसूली न करने बारे:–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसाार ₹1,300/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि। (₹)
1	05	नेहा पुत्री श्री रमेश कुमार	02.05.22	10.06.22	400	0	400
2	06	अभिनन्दन शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा	06.07.22	15.07.22	200	0	200

3	07	पूजा पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह	27.07.22	05.08.22	200	0	200
4	17	संगीता पुत्री श्री सरवण कुमार	24.01.23	03.03.23	400	100	300
5	19	कृष्ण कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द	23.06.23	15.07.23	200	0	200
कुल योग							**1300**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/7 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निम्नविवारणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **2,200/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2022—23	1200.00
2	2023—24	1000.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/8 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. गृहकर व अन्य कर के रूप में वसूल की गई राशि ₹0.04 लाख को बैंक में जमा न करवाने बारे :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशि, कोष की प्रकृति अनुसार दो खातों में से किसी एक में जमा करवाई जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न रसीदों द्वारा गृहकर व अन्य कर के रूप में ₹3860/– की वसूली की गई थी, परन्तु उक्त वसूली को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था। अतः ₹3860/– की राशि बैंक में जमा न करवाने व न ही रोकड़ बही में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/10 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि वसूल की गई राशि को स्टेशनरी व बिजली के बिल इत्यादि के खर्च को वहन करने के लिए नगद खर्च कर दिया गया है रोकड़ बही में दर्ज करने उपरान्त वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य एवं आंकड़ों रहित होने के कारण संतोषजनक नही है ।

अतः इस अनियमितता का नियमानुसार तथ्यों एवं आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3860/– की असमर्थित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से

करने व बैंक में जमा करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0 सं0	नाम	रसीद संख्य	दिनांक	वसूल की गई राशि (₹)	
1	कृष्ण कुमार पुत्र श्री विशाल चन्द	118442	शून्य	100	गृहकर
2	पुष्पा देवी पत्नी श्री किशोरी लाल	118443	20.10.23	200	विवाह पंजीकरण शुल्क
3	सपना व्यास पत्नी श्री अनिल कुमार	118444	26.10.22	200	—यथोपरि—
4	कृष्णा देवी पत्नी बिहारी लाल	118446	—	800	गृहकर
5	पलक कपूर पत्नी श्री संजय कुमार	118447	30.11.23	200	विवाह पंजीकरण शुल्क
6	कशमीर चन्द	118448	—	10	दान
7	सोनू कुमार	118449	30.11.23	200	विवाह पंजीकरण शुल्क
8	स्मरजीत	118450	—	400	—यथोपरि—
9	अक्षय	118451	—	400	—यथोपरि—
10	बादल कटोच पुत्र श्री अरूण कटोच	118452	—	200	—यथोपरि—
11	कृष्ण कुमार	118453	—	200	—यथोपरि—
12	अमित गिल पुत्र श्री मनोहर लाल	118454	16.02.24	200	—यथोपरि—
13	प्रक्षित कटोच पुत्र श्री रमेश चन्द	118455	—	200	—यथोपरि—
14	विनोद कुमार	118456	—	50	होली उत्सव
15	दया देवी पत्नी श्री विनोद कुमार	118457	—	50	होली उत्सव
16	दिगती राम	118458	—	50	होली उत्सव
17	पूनम	118459	—	200	विवाह पंजीकरण शुल्क
18	सुरिन्द्र सिंह	118460	—	200	विवाह पंजीकरण शुल्क
			योग	**3860**	

9. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹8.88 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म "एक्स" या "डब्ल्यू" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹ 8,87,813/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/09 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म "एक्स" या "डब्ल्यू" प्राप्त किये गये है। अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10. दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :–

निदेशक, हि0 प्र0 पंचायती राज विभाग के पत्र सख्या PCH(1)5/2009-II-Instruction-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में पंचायत सदस्य के विरूद्ध धनराशि की वसूली सहित निलम्बन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पचांयत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल मे एक ही दिन निम्नविवरणानुसार दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा–निर्देशों की अवहेलना है, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/11 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

क्र0 सं.	पंचायत सदस्य का नाम	मस्ट्रोल सं0 व अवधि	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	रजनी	2647, 01.08.22 से 15.08.22	08.08.22	500	212
2	राकेश कुमार	769, 17.05.23 से 31.05.23	20.05.23	500	212

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0 सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉंग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11	37
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	संपरीक्षा रिपोर्टों के अभिलेखों का रख–रखाव	30	89

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. निष्कर्ष :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

19 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

3865– 3869

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)218/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पालमपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड पालमपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sungal" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	102601.05	211200	0	313801.05	180540	133261.05
2	VKVNY	0	1228555	0	1228555	1071984	156571
3	15TH FC	1025931	1689807	0	2715738	624793	2090945
4	SDP	12920	292000	7032	311952	425572	-113620
5	MPLAD	0	53760	0	53760	0	53760
6	MNREGA	0	2445000	0	2445000	2445000	0
	Total Rs.	1141452.05	5920322	7032	7068806.05	4747889	2320917.05

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sungal" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	133261.05	406827	0	540088.05	398850	141238.05
2	VKVNY	156571	190400	0	346971	311346	35625
3	15TH FC	2090945	270090	0	2361035	615520	1745515
4	SDP	-113620	690850	4295	581525	617594	-36069
5	MPLAD	53760	0	0	53760	52280	1480
6	MNREGA	0	2050000	0	2050000	2050000	0
	Total Rs.	2320917.05	3608167	4295	5933379.05	4045590	1887789.05

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, GRDY,MMGPY,SDP,RAY,MPLAD,RGSA,SDRF,IWMP,Livelihood,

A/c No. 50057381362	KCCB Padhiyarkhar	VKVNY, SDP	68275
A/c No. 20141006659	KCCB Padhiyarkhar	Own Source, 5th State	235062.11
A/c No. 50100349565465	HDFC Palampur	15th FC	2096881.3
cash in hand			0
	Total		2400218.41

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		98096.45
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	141238.05
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	35625
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1745515
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	-36069
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	1480
Total		1985885.5
diffrence		-414332.91

Neha Kumari
PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SUNGAL
DEV BLOCK PANCHRUKHI, KANGRA, H.P

Financial Position of Own sources in r/o GP Sungal

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	201369.45	109510	7661	318540.45	217714	100826.45
2023-24	100826.45	44682	7638	153146.45	55050	98096.45

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SUNGAL

परिशिष्ट-2
(अनुच्छेद प्रविष्टियों के पृष्ठ संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Sungal Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	82300	63000	145300	0	145300
2023-24	145300	63000	208300	0	208300
	No. of family 630	Rate 100/- per annum			

Nisha Kumari
PRADHAN
SECY.
GRAM PANCHAYAT SUNGAL
DEV BLOCK [illegible] H.P.

20

परिशिष्ट - 3
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name of gram panchayat Sungal dev. Block panchrukhi distt kangra H.P

2022-23

SR. no.	Name of work	Head	vendor name	voucher no and date	Bill No. & date	sand cft	bajri cft	boulder	bricks no.	Amount
1	C/O KUHAL DHRAMAN NALA TO RIKHI RAM HOUSE TOWARDS WNO.2	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(012)23-08-2022	400	400			40680
			SACHIN KAPOOR		(013)23-08-2022	300	100	200		25760
2	C/O LAND PROTECTION WALL NEAR HANUMAN MANDIR WARD NO.4	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(017) 23-08-2022		400			18440
3	LAND DEVELOPMENT/PROTECTION NEAR GP SUNGAL MELA GROUND WARD NO.3	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(018)23-08-2022		200			9220
4	LAND DEVELOPMENT/PROTECTION NEAR GP SUNGAL MELA GROUND WARD NO.3	Mnrega	RANA CONSTRUCTION		(534) 22-08-2022					10615
5	C/O SADAK PRITAM CHAND LAND TO VILLAGE TOWARDS	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(014) 23-08-2022	300	500			39730
			SACHIN KAPOOR		(015) 23-08-2022	430	100			27038
6	C/O JEEPABLE ROAD SAROJ KUMARI HOUSE TO RAKESH KUMAR HOUSE WNO.5	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(008) 23-08-2022	370	500			43622
		Mnrega	SACHIN KAPOOR		(009) 23-08-2022		200	800		44420
7	C/O PATH BICHITRA KUMAR HOUSE TO PYAR CHAND LAND TOWARDS	Mnrega	SACHIN KAPOOR		(016) 23-08-2022	200	200			20340
Sr. No.	Name of Work	head	vendor name	voucher no and	Bill No. & date	sand cft	bajri cft	boulder	bricks no.	
1	C/o Road Vijay Butail house to Ravinder Sharma house W. No. 2	VKVNY	SACHIN KAPOOR	12(18/08/2025)	002 (10/06/2022)	80 cft	550 cft	210 cft		51635
2	C/o Road Chamotu Mela Ground to Rangeelu Ram house W. No. 3	VKVNY	SACHIN KAPOOR	13(18/08/2025)	001 (10/06/2022)	165 cft	100 cft	50 cft		27244
3	C/o Danga Reeta Devi W/ o Rsmesh Chand W. No. 5	SDRF	SACHIN KAPOOR	14 (26/08/2022)	007 (20/06/2022)	240 cft	410 cft			32245
										390989

2023-24

sr. no.	name of work	head	vendor name		Bill No. & date	sand cft	bajri cft	boulder	bricks no.	Amount
	C/O SHAMSHAN GHAT NEAR CHATHMBI PULL WARD NO.3	Mnrega	SACHIN KAPOOR		055 (27-06-2023)		200 cft			9621
			SACHIN KAPOOR		96/30-06-2023		400 cft			22243
			SACHIN KAPOOR		97/27-06-2023		300 cft			13831
	C/O AARAM GHAT NEAR SHAMSHAN GHAT WNO.6	Mnrega	SACHIN KAPOOR		46/ 27.06.2023	400 cft				2975
					98/27-06-2023	400 cft				22243
					99/27-06-2023		300 cft			13831
	C/O KUHAL MOHAN CHAND LAND TO LINK ROAD TOWARDS WARD NO.2	Mnrega	SACHIN KAPOOR		42/27/06/2023	200 cft				1925
					48/27/06/2023	200 cft				11121
					49/27/06/2023		200 cft			13831

Secretary
Gram Panchayat Sungal
Dev. Block Panchrukhi
Distt. Kangra (H.P.)

21

					50/27/06/2023		300 cft			3286	
					60/27/06/2023		100 cft			4378	
	C/O KUHAL KISHORI LAL HOUSE TO OM PARKASH HOUSE HOUSE WARD NO.7	Mnrega			41/28.06.2023	200 cft				4200	
					51/28.06.2023		100 cft			11121	
					52/28.06.2023		100 cft			3286	
					95/28.06.2023		200 cft			6573	
	C/O KUHAL SHALI RAM HOUSE TO BISHAN DASS HOUSE WNO.5	MNREGA	SACHIN KAPOOR		065/27-06-2023	225 cft				6573	
					067/27/06/2023			100 cft		4399	
	C/O KUHAL/PATH ODER KUHAL TO SITA RAM HOUSE WNO.7	Mnrega			068/27/06/2023			425 cft		19594	
					94/27/06/2023			200 cft		8799	
					100/27/06/2023	300 cft				16682	
					224/27/06/2023		600 cft			20500	
	C/O KUHAL DHUNDU RAM HOUSE TO BISAN DASS HOUSE WNO.4	Mnrega			069/27/06/2023	200 cft				11121	
					85/27/06/2023	25 cft				1390	
					086/27/06/2023		270 cft			8873	
	C/O NIKAS NALI PANCHAYAT GHAR TO SADAK TOWARDS WNO.3	Mnrega			070/27/06/2023	200 cft				11121	
					092/27/06/2023		200 cft			6573	
					093/27/06/2023		150 cft			6915	
	C/O NIKAS NALI RANI DEVI HOUSE TO DHARAM CHAND LAND TOWARDS WNO.4	Mnrega			078/27/06/2023		200 cft			6573	
	C/O LAND PROTECTION WALL NEAR HANUMAN MANDIR WARD NO.4	Mnrega			053/27/06/2023	200 cft				11121	
					054/27/06/2023		100 cft			3286	
					088/27/06/2023	300 cft				16682	
					089/27/06/2023		300 cft			9859	
					090/27/06/2023		400 cft			18442	
	LAND DEVELOPMENT/PROTECTION NEAR GP SUNGAL MELA GROUND WARD NO.3	Mnrega			080/27/06/2023	400 cft				27247	
					082/27/06/2023		200 cft			9221	
					084/27/06/2023		530 cft			17418	
	C/O SADAK RAJINDER HOUSE TO AMARNATH HOUSE TOWARDS WARD NO.7	Mnrega			032/28/06/2023	150 cft				8341	
					033/28/06/2023			60 cft		5430	
					056/28/06/2023			100 cft		4399	
					058/28/06/2023		50 cft			1643	
	REPAIR PATH / NIKAS NALI SHIV MANDIR TO KAPOOR HOUSE WARD NO.1	Mnrega			062/28/06/2023	300 cft				16682	
					063/28/06/2023		375 cft			17288	
	C/O SADAK RAMESH CHAND S/O HIRU RAM HOUSE TO MANOHAR LAL HOUSE WNO.6	Mnrega			031/28/06/2023		400 cft			18422	
	C/o Jeeproad main road to Dr. Amit Sharma house	Mnrega									
1	C/o Jeeproad main road to Dr. Amit Sharma house	15th	SACHIN KAPOOR	01 (13/06/2023)	222(04/03/2023)			500 cft		20950	
2		15th	SACHIN KAPOOR	02 (13/06/2023)	223(04/03/2023)	120 cft	220 cft			16815	

Total 496824

Secretary
Gram Panchayat Sungal
Dev. Block Panchrukhi
Distt. Kangra (H.P.)

22